उत्तरप्रदेश राज्य तथा अन्य

बनाम

आर.सी. मिश्रा

22 मार्च,2007

(जी.पी. माथुर और लोकेश्वर सिंह पंत न्यायाधिपतिगण)

सेवा कानून,

सिविल सेवा विनियम-विनियम 351 ए-नियोजित के विरूद्घ सेवा में रहने के दौरान आरम्भ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही, सेवानिवृति के बाद जारी रही-अवधारित-राज्यपाल की मन्जूरी की आवश्यकता नहीं थी। शब्द और वाक्यांश- "संस्थित", "निरन्तरित", बढाना, "आगे बढना" का अर्थ- सिविल सेवा विनियम के विनियमन 351 ए के परन्तुक के खण्ड (ए) के सन्दर्भ में स्पष्ट किया गया।

प्रत्यर्थी की सेवानिवृति से पहले आरोप पत्र जारी करके उसके विरूद्घ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी।

वर्तमान अपील में विचार के लिये जो प्रश्न उठा, वह यह है कि क्या इसे जारी रखने के लिये सक्षम प्राधिकारी अर्थात राज्यपाल के सिविल सेवा विनियम के विनियमन 351 ए में यथा प्राविधत विनिर्दिष्ट आदेश के अभाव में, कार्यवाही जारी नहीं रह सकती थी।

न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

विनियमन 351 ए का मूल भाग सरकार को पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को स्थाई रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिये रोकने या वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है और यदि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही में यह पाया जाता है कि सेवाकाल में, जिसमें सेवानिवृति के पश्चात प्नर्नियोजन का काल भी सम्मिलित है, पेंशनभोगी गम्भीर दुराचार का दोषी रहा है अथवा दुराचार या लापरवाहीपूर्वक उसने सरकार को आर्थिक क्षति कारित की है, तो सरकार को ह्ए आर्थिक न्कसान की पेंशन से, पूरी या आंशिक वसूली का आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है। विनियम के मूल भाग के तहत प्रदत्त अधिकार सीमित करता हुआ परन्त्क इसमें जोडा गया है। परन्त्क के खण्ड (ए) में यह अभिव्यक्ति प्रयुक्त है, 'अधिकारी सेवानिवृति से पूर्व या पुनर्नियोजन के दौरान कर्तव्यरत था इस दौरान यदि, संस्थित नहीं ह्ई', इसलिए, परंतुक का खंड (ए) तभी आकृष्ट होगा जब विभागीय कार्यवाही अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद संस्थित हो या जब वह प्नर्नियोजन में न हो तब संस्थित हो। यदि, अधिकारी के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने या सेवानिवृति से पूर्व विभागीय कार्यवाही संस्थित हो गई तो परंतुक (ए) सकता। जांच या न्यायिक कार्यवाही किस दिन लंबित मानी जाए इस

विषय में किसी भी भ्रांति के निराकरण के लिए परन्तुक के पश्चात एक स्पष्टीकरण रखा गया है। स्पष्टीकरण (ए) के अनुसार विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित मानी जायेगी (i) जब अधिकारी के विरूद्घ बनाया गया आरोप पत्र उसे जारी कर दिया जाय, या (ii) यदि अधिकारी को इससे पूर्व निलम्बित कर दिया हो तो निलंबन की तारीख से। स्पष्टीकरण सम्मिलत करके नियम निर्माता प्राधिकारी ने ऐसी दो तारीखें वैचारिक रूप से तय कर दी जिसे उस अधिकारी के विरूद्घ जांच के संस्थित होने की तारीख के रूप में माना जावेगा। (पैरा-6) (365-एच;366-A-E)

1.2 परन्तुक और स्पष्टीकरण का संयुक्त पठन यह दर्शाता है कि यदि अधिकारी अधिवार्षिकी आयु का नहीं हुआ और सेवानिवृत नहीं हुआ है तो उसके विरूद्घ विभागीय कार्यवाही संस्थित करने में कोई बाधा या पिरसीमन नहीं हैं। अधिवार्षिकी आयु का होने से पूर्व यदि अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया या आरोप जारी कर दिये गये तो इस प्रकार से संस्थित हुई विभागीय कार्यवाही उसकी अधिवार्षिकी आयु एवं सेवानिवृति के बाद भी वैध रूप से जारी रह सकती है, जिसमें विनियम 351 ए के परन्तुक के खंड (ए) के उपखंड (i) अथवा उपखंड (ii) लागू नहीं होंगे। सेवारत रहते अधिकारी यदि निलम्बित नहीं किया गया या उसे आरोप जारी नहीं किये गये और अधिवार्षिकी आयु तक पहुंच कर वह सेवानिवृत हो च्का हो और प्नर्नियोजन में न हो तथा विनियम 351 ए के अधीन

उसके विरूद्घ विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है, केवल वहीं परन्तुक (ए) के उपखंड (i) अथवा उपखंड (ii) में विहित परिसीमा आकृष्ट होगी। (पैरा-6) (366-E,G)

- 1.3 परन्त्क (ए) में संस्थित शब्द प्रय्क्त है। शब्द 'संस्थित' का शब्दकोषीय अर्थ है-'व्यवस्थित खड़ा करना; अस्तित्व में आना कारित करना; उद्भूत और संस्थापित करना; चालू करना। स्पष्टतः यह आरम्भिक कार्य या कार्यारम्भ निर्दिष्ट करता हैं। पहले ही आरम्भ हो च्के कार्य को जारी रखने से यह सर्वथा भिन्न है। यदि नियम निर्माता प्राधिकारी का मन्तव्य होता कि अधिकारी के सेवारत रहते संस्थित हो च्की विभागीय कार्यवाही उसकी सेवानिवृति के बाद राज्यपाल की अन्मति के बिना जारी नहीं रहनी चाहिये तो परन्त्क (ए) अन्यथा रूपेण शब्दित होता और बजाय 'संस्थित' शब्द के "निरन्तरित रखना", "आगे बढना", या "बढाना" जैसी शब्दावली का प्रयोग हुआ होता। परन्तुक की भाषा क्योंकि ऐसी नहीं है इसलिए यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अधिकारी के सेवारत रहते वैध रूप से संस्थित हो चुकी जांच को जारी रखने और पूरा करने में, उसके सेवानिवृत हो च्कने के मामले में राज्यपाल की मन्जूरी जरूरी हो। (पैरा-7) (366-H;367-A-B)
- 2.1 वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी को, सेवा में रहने के दौरान ही निलम्बित कर दिया और आरोप भी जारी कर दिये। ऐसी परिस्थितियों में

परन्तुक (ए) बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं हुआ और राज्यपाल की मन्जूरी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जो जांच प्रत्यर्थी के सेवा में रहने के दौरान चालू हो चुकी थी और सेवानिवृति के बाद पूरी हुई, उसे राज्यपाल की मन्जूरी के अभाव के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। (पैरा-8) (367-C-D)

2.2 विनियम 351 ए का इस प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता है कि अधिकारी के सेवा में रहने के दौरान वैधरूपेण संस्थित हो चुकी विभागीय जांच को उस अधिकारी की पश्चातवर्ती सेवानिवृति के उपरांत जारी रखने के लिये राज्यपाल की मन्जूरी की जरूरत पडेगी क्योंकि परन्तुक (ए) के खंड (i) में थोपी गई परिसीमा कार्यवाही जारी रखने बाबत न होकर केवल कार्यवाही के संस्थित होने विषयक है। (पैरा-10) (368-G)

उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य बनाम हरिहर भोलानाथ, जे.टी. (2006) 9 सुप्रीम कोर्ट 567 अनुसरित

उत्तरप्रदेश राज्य बनाम श्रीकृष्ण पांडे, (1996)9 सुप्रीम कोर्ट केस 395, उल्लेखित

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः दीवानी अपील संख्या-1539 वर्ष 2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 1292(एकल पीठ) वर्ष 2002 में पारित अन्तिम निर्णय और आदेश के विरूद्घ प्रस्तृत अपील दिनांक -16.03.2004 से

दिनेश द्विवेदी, निरंजनसिंह और अभिषेक चौधरी अपीलार्थीगण की तरफ से।

सुनील गुप्ता, शैल कुमार द्विवेदी और जी.वी. राव प्रत्यर्थी की तरफ से

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति जी.पी. माथुर द्वारा पारित किया गया।

- 1. अनुमति प्रदत्त
- 2. विशेष अनुमित से यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनउ पीठ) के दिनांक 16.03.2004 के उस निर्णय व आदेश के विरूद्घ दायर की गई है जिसके द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा पेश रिट याचिका को खारिज किया गया। रिट याचिका में उत्तरप्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण लखनउ (एतद्स्मिन पश्चात जिसे 'प्राधिकारण' कहा है) के दिनांक-10.04.2002 को पारित उस आदेश को चुनौति दी गई जिसके जरिये प्रत्यर्थी आर.सी. मिश्रा द्वारा दायर क्लेम याचिका को मन्जूर करते हुए, उसकी पेंशन/उपादान में से एक निश्चित राशि की वसूली के राज्य सरकार के आदेश को अपास्त कर दिया था।
 - 3. प्रत्यर्थी खण्ड विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत था तब

दिनांक-20.10.97 के आदेश के द्वारा उसे निलम्बित किया और दिनांक-24.10.97 को उसे आरोप पत्र तामील कराया जिसमें बारह आरोप थे। दिनांक-31.10.97 को अधिवार्षिकी आय् का होकर प्रत्यर्थी सेवानिवृत हो गया। दिनांक-16.11.99 को जांच अधिकारी ने सभी बारह आरोप साबित बताते हुए प्रतिवेदन प्रस्त्त किया। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी की पेंशन/उपादान राशि से रूपये 9,69,141.60 वसूलने का निर्देश देते ह्ए राज्य सरकार ने दिनांक-25.01.2001 को आदेश पारित किया। राज्य सरकार के उक्त आदेश को चुनौति देते हुए प्रत्यर्थी ने उत्तरप्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण के समक्ष क्लेम याचिका पेश की। दिनांक-10.04.2002 के आदेश द्वारा प्राधिकरण ने क्लेम याचिका को स्वीकार कर प्रत्यर्थी से रूपये 9,69,141.60 वसूल करने के राज्य सरकार के आदेश को अपास्त कर दिया। तथापि, राज्य सरकार को,सक्षम प्राधिकारी से अन्मति लेने के उपरांत सिविल सेवा विनियम के विनियमन 351 ए के तहत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रखा। प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश को उत्तर प्रदेश राज्य ने रिट याचिका दायर करके च्नौती दी, किन्त् 16.03.2004 को वह रिट याचिका खारिज कर दी गई।

4. हमने श्री दिनेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बतरफ अपीलार्थी को, श्री सुनील गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी को, सुना और अभिलेख देखा। 5. इस तथ्यात्मक स्थित के बारे में कोई विवाद नहीं है, कि प्रत्यर्थी को दिनांक 20.10.97 को निलम्बित किया और 12 आरोपों वाला आरोप पत्र दिनांक 24.10.97 को उस पर तामील हुआ, जिसके शीघ्र बाद दिनांक 31.10.97 को वह अधिवार्षिकी आयु का हो गया। जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष अंकित किया कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध सभी आरोप साबित हो जाना पाया जाता है। प्राधिकरण ने माना कि प्रत्यर्थी की सेवानिवृति से पूर्व विभागीय कार्यवाही आरम्भ हो गई थी जो आरोप पत्र देकर आरम्भ की थी किन्तु वह जांच उसकी सेवानिवृति के पश्चात तब तक जारी नहीं रखी जा सकती थी, जब तक कि सिविल सेवा विनियम के विनियमन 351 ए में यथाविहित विनिर्दिष्ट आदेश इस हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो कि राज्यपाल है, से न ले लिया जाय। प्राधिकरण की यह यौक्तिकता उच्च न्यायालय ने मान ली और यह कहा-

"----- इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 की सेवानिवृति से कुछ दिनों पूर्व ही जांच आरम्भ की गई। राज्य सरकार के लिये उस समय स्वीकृति या अनुमित लेने का कोई अवसर नहीं था। जांच जारी रहते प्रत्यर्थी संख्या-1 अधिवार्षिकी आयु का होकर सेवा से निवृत हो गया किन्तु याची ने राज्यपाल से सिविल सेवा विनियम के विनियमन 351 में यथाविहित कोई मन्जूरी या अनुमित नहीं ली।"

अपीलार्थी उत्तरप्रदेश राज्य की ओर से उठाया गया तर्क कि प्रत्यर्थी के अधिवार्षिकी आयु का होने से पूर्व जांच आरम्भ हो जाने से राज्यपाल की स्वीकृति अपेक्षित नहीं थी, इसे उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य बनाम श्रीकृष्ण पांडे, (1996)9 सुप्रीम कोर्ट केस 395 में दिये गये निर्णय का हवाला देते हुए नकार दिया।

6. सिविल सेवा विनियम के विनियमन 351 ए और 470 अधोलिखित है-

"351-ए,राज्यपाल के पास पेंशन या उसके किसी हिस्से को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अविध के लिए रोकने या वापस लेने का अधिकार सुरिक्षित है और किसी भी आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक राशि पेंशन से वसूलने का आदेश देने का अधिकार है। सरकार, यदि पेंशनभोगी को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, या ऐसा किया गया है। सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाही से सरकार को होने वाली क्षतिपूर्ति हानि, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुन: रोजगार पर प्रदान की गई सेवा भी शामिल है;उसे उपलब्ध कराया-"

(ए) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि अधिकारी के सेवानिवृत्ति से पहले या पुन: रोजगार के दौरान ड्यूटी पर रहने के दौरान शुरू नहीं की गई है -

- (i) राज्यपाल की मंजूरी के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा,
- (ii) ऐसी घटना के संबंध में होगी जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई हो, और
- (iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान या स्थानों पर आयोजित किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल निर्देशित कर सकते हैं और कार्यवाही पर लागू प्रक्रिया के अनुसार जिस पर सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है।
- (बी) न्यायिक कार्यवाही, यदि अधिकारी के सेवानिवृत्ति से पहले या पुन: रोजगार के दौरान इ्यूटी पर होने के दौरान शुरू नहीं की गई है, तो खंड (ए) के उप-खंड (ii) के अनुसार शुरू की जाएगी, और
- (सी) अंतिम आदेश पारित करने से पहले लोक सेवा आयोग, यूपी से परामर्श किया जाएगा।

(परन्तु यह भी कि यदि राज्यपाल द्वारा पारित आदेश उत्तरप्रदेश अनुशासनात्मक कार्यवाही (प्रशासनिक न्यायाधिकरण) नियमावली, 1947 के तहत निपटाए गए किसी मामले से सम्बन्धित हैं, तो लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा) स्पष्टीकरण-इस उद्देश्य के लिये लेख-

(ए) विभागीय कार्यवाही तब शुरू की गई मानी जाएगी जब पेंशनभोगी के खिलाफ लगाए गए आरोप उसे जारी किए जाते हैं, या, यदि अधिकारी को पहले की तारीख से निलंबित कर दिया गया है, तो ऐसी तारीख पर; और

- (बी) न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई मानी जाएगी:
- (i) आपराधिक कार्यवाही के मामले में, जिस तारीख को शिकायत की जाती है, या आरोप पत्र आपराधिक अदालत में जमा किया जाता है; और
- (ii) सिविल कार्यवाही के मामले में, जिस तारीख को वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है या, जैसा भी मामला हो,सिविल न्यायालय में आवेदन किया जाता है।"
 - "470. (ए) नियमों के तहत स्वीकार्य पूर्ण पेंशन निश्चित रूप से नहीं दी जानी है, या जब तक कि प्रदान की गई सेवा वास्तव में अनुमोदित न हो।"
- (बी) यदि सेवा पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को राशि में उतनी कटौती करनी चाहिए जितनी वह उचित समझे। बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अलावा अन्य है, पेंशन की राशि में कटौती के संबंध में कोई भी आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

"नोट: इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए 'नियुक्ति प्राधिकारी

का अर्थ वह प्राधिकारी होगा जो उस पद या सेवा पर मौलिक नियुक्ति करने में सक्षम है, जहां से संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त होता है।"

विनियमन 351 ए का मूल भाग सरकार को पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को स्थाई रूप से या एक निर्दिष्ट अविध के लिये रोकने या वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है और यदि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही में यह पाया जाता है कि सेवाकाल में, जिसमें सेवानिवृति के पश्चात प्नर्नियोजन का काल भी सम्मिलित है, पेंशनभोगी गम्भीर द्राचार का दोषी रहा है अथवा द्राचार या लापरवाहीपूर्वक उसने सरकार को आर्थिक क्षति कारित की है, तो सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की पेंशन से, पूरी या आंशिक वसूली का आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है। विनियम के मूल भाग के तहत प्रदत्त अधिकार को सीमित करता ह्आ परन्तुक इसमें जोडा गया है। परन्तुक के खण्ड (ए) में यह अभिव्यक्ति प्रयुक्त है, 'अधिकारी सेवानिवृति से पूर्व या प्नर्नियोजन के दौरान कर्तव्यरत था इस दौरान यदि, संस्थित नहीं ह्ई', इसलिए, परंतुक का खंड (ए) तभी आकृष्ट होगा जब विभागीय कार्यवाही अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद संस्थित हो या जब वह पुनर्नियोजन में न हो तब संस्थित हो। यदि, अधिकारी के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने या सेवानिवृति से पूर्व विभागीय कार्यवाही संस्थित हो गई तो परंतुक (ए) लागु नहीं हो सकता।

जांच या न्यायिक कार्यवाही किस दिन लंबित मानी जाए इस विषय में किसी भी भ्रांति के निराकरण के लिए परन्त्क के पश्चात एक स्पष्टीकरण रखा गया है। स्पष्टीकरण (ए) के अन्सार विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित मानी जायेगी (i) जब अधिकारी के विरूद्घ बनाया गया आरोप पत्र उसे जारी कर दिया जाय, या (ii) यदि अधिकारी को इससे पूर्व निलम्बित कर दिया हो तो निलंबन की तारीख से। स्पष्टीकरण सम्मिलित करके नियम निर्माता प्राधिकारी ने ऐसी दो तारीखें वैचारिक रूप से तय कर दी जिसे उस अधिकारी के विरूद्घ जांच के संस्थित होने की तारीख के रूप में माना जावेगा। परन्तुक और स्पष्टीकरण का संयुक्त पठन यह दर्शाता है कि यदि अधिकारी अधिवार्षिकी आयु का नहीं हुआ और सेवानिवृत नहीं हुआ है तो उसके विरूद्घ विभागीय कार्यवाही संस्थित करने में कोई बाधा या परिसीमन नहीं हैं। अधिवार्षिकी आयु का होने से पूर्व यदि अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया या आरोप जारी कर दिये गये तो इस प्रकार से संस्थित ह्ई विभागीय कार्यवाही उसकी अधिवार्षिकी आयु एवं सेवानिवृति के बाद भी वैध रूप से जारी रह सकती है, जिसमें विनियम 351 ए के परन्त्क के खंड (ए) के उपखंड (i) अथवा उपखंड (ii) लागू नहीं होंगे। सेवारत रहते अधिकारी यदि निलम्बित नहीं किया गया या उसे आरोप जारी नहीं किये गये और अधिवार्षिकी आयु तक पह्ंच कर वह सेवानिवृत हो च्का हो और प्नर्नियोजन में न हो तथा विनियम 351 ए के अधीन उसके विरूद्घ विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है, केवल वहीं परन्तुक

- (ए) के उपखंड (i) अथवा उपखंड (ii)में विहित परिसीमा आकृष्ट होगी।
- परन्तुक (ए) में संस्थित शब्द प्रयुक्त है। शब्द 'संस्थित' का शब्दकोषीय अर्थ है-'व्यवस्थित खड़ा करना; अस्तित्व में आना कारित करना; उद्भूत और संस्थापित करना; चालू करना।' स्पष्टतः यह आरम्भिक कार्य या कार्यारम्भ निर्दिष्ट करता हैं। पहले ही आरम्भ हो च्के कार्य को जारी रखने से यह सर्वथा भिन्न है। यदि नियम निर्माता प्राधिकारी का मन्तव्य होता कि अधिकारी के सेवारत रहते संस्थित हो च्की विभागीय कार्यवाही उसकी सेवानिवृति के बाद राज्यपाल की अन्मति के बिना जारी नहीं रहनी चाहिये तो परन्त्क (ए) अन्यथा रूपेण शब्दित होता और बजाय 'संस्थित' शब्द के निरन्तरित रखना, 'आगे बढना, या बढाना" जैसी शब्दावली का प्रयोग हुआ होता। परन्तुक की भाषा क्योंकि ऐसी नहीं है इसलिए यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अधिकारी के सेवारत रहते वैध रूप से संस्थित हो चुकी जांच को जारी रखने और पूरा करने में, उसके सेवानिवृत हो च्कने के मामले में राज्यपाल की मन्जूरी जरूरी हो।
- 8. वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी को, सेवा में रहने के दौरान ही निलम्बित कर दिया और आरोप भी जारी कर दिये। ऐसी परिस्थितियों में परन्तुक (ए) बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं हुआ और राज्यपाल की मन्जूरी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जो जांच प्रत्यर्थी के सेवा में रहने के दौरान चालू हो चुकी थी और सेवानिवृति के बाद पूरी हुई, उसे राज्यपाल की मन्जूरी के

अभाव के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। प्राधिकरण तथा उच्च न्यायालय ने इससे प्रतिकूल जो मत बनाया वह कानूनन स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है। अतः यथावत नहीं रखा जा सकता है।

9. इस न्यायालय ने हाल ही में उत्तरप्रदेश राज्य बनाम हिरहर भोलानाथ जेटी (2006) 9 सुप्रीम कोर्ट 567 में सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 351 ए तथा 470 के प्रावधानों की परीक्षा की और पैरा 14 तथा 15 में निम्नान्सार अवधारित किया:-

"14 सेवाकाल के दौरान घोर दुराचार का, या अपने दुराचार अथवा लापरवाही से सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का, दोषी पाया जाने पर, सरकारी सेवक के विरूद्घ रकम वस्ली की कार्यवाही की जा सकती है यद्यपि यह उन प्रक्रियात्मक बचाव के अध्यधीन है जो इससे जुड़े परन्तुक में वर्णित है, जिसमें राज्यपाल से मन्जूरी का आदेश लेने की आवश्यकता भी सम्मिलित है। तथापि, उन मामलों में ऐसी मन्जूरी जरूरी नहीं होगी जहां अवचारकर्ता के कर्तव्यरत रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही को आरम्भ कर दिया गया हो। विनियमन 351 ए में रखा गया परन्तुक केवल मुख्य कार्यवाही मात्र को नियंत्रित करता है। यह इसमें वर्णित परिस्थितियों और आवश्यकताओं में लागू होगा,

अर्थात, जहां सेवानिवृति के बाद कार्यवाही को आरम्भ किया गया हो, उससे पूर्व प्रारम्भ नहीं की हो।"

"15 विनियमन 351 ए में जोड़ा गया स्पष्टीकरण विधिक कल्पना को प्रावधित करता है तद्नुसार विभागीय कार्यवाही तब संस्थित मान ली जायगी जब पेंशनर के विरूद्घ आरोप विरचित हुए या जारी किये गये और अपचारी यदि उसके पूर्व निलंबित कर दिया गया था तो निलंबन की तारीख से संस्थित मानी जायगी।"

10. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कि अधिकारी के सेवानिवृत होने से पूर्व संस्थित हो चुकी विभागीय कार्यवाही को भी राज्यपाल की मन्जूरी के बिना सेवानिवृति के बाद जारी नहीं रखा जा सकेगा, उच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश राज्य बनाम श्रीकृष्ण पांडे (1996)9 सुप्रीम कोर्ट केस 395 पर भरोसा किया। उस मामले में दिनांक 31.03.1987 को अधिकारी सेवानिवृत हो चुका था और दिनांक 21.04.1991 को कार्यवाही आरम्भ की थी। इस प्रकार अधिकारी की सेवानिवृति से लम्बे अर्स बाद विभागीय कार्यवाही संस्थित हुई और ऐसी स्थिति में परन्तुक (ए) में लगाये निर्बन्धन स्पष्ट रूप से आकर्षित हो रहे थे इसलिए राज्यपाल की मन्जूरी के बिना उसके विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकती थी। इस विनिश्चय की सूचना रखते हुए इसे उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य बनाम

हरिहर भोलानाथ जेटी (2006) 9 सुप्रीम कोर्ट 567 के पैरा 20 में स्पष्ट किया है जिसे नीचे प्नर्प्रस्त्त किया जा रहा है:

"20.*उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य बनाम श्रीकृष्ण पांडे*, आॅल इण्डिया रिपोर्टर (1996)स्प्रीम कोर्ट 1656 पर उच्च न्यायालय ने सशक्त भरोसा किया, जिसमें अपचारी अधिकारी अधिवार्षिकी आय् का हो गया उसके पश्चात विभागीय कार्यवाही को आरम्भ किया था। सिविल सेवा नियम के नियम 351 ए को तथा इस तथ्य को देखते ह्ए कि नियोजित की सेवानिवृति के बाद विभागीय कार्यवाही को आरम्भ किया था, इसे कानूनन अनन्ज्ञेय ठहराया गया। नियम 351 ए में अधिवार्षिकी आयु तक पह्ंचने से पूर्व विभागीय कार्यवाही के चालू हो जाने के मामले अन्तर्वलित है उसकी संरचना पर यद्यपि कोई व्यवस्था देना अनावश्यक था फिर भी यह निरूपित किया था कि 31 मार्च 1987 को अधिकारी सेवानिवृत हो च्का और 12 अप्रेल 1991 को उसके विरूद्घ कार्यवाही चालु हुई इसलिए नियम का परन्त्क लागू होगा।"

उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य बनाम श्रीकृष्ण पांडे ऑल इण्डिया रिपोर्टर (1996) सुप्रीम कोर्ट 1656 में दिया गया निर्णय स्पष्ट रूप से इस प्रस्तावना के लिये कोई अधिकारिक आधार नहीं है कि अधिकारी के सेवारत रहते और सेवानिवृति के उपरांत दोनों में से किसी भी स्थिति में आरम्भ की गई विभागीय कार्यवाही को राज्यपाल की मन्जूरी के बिना उस अधिकारी की सेवानिवृति के बाद जारी नहीं रखा जा सकेगा। विनियम 351ए का इस प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता है कि अधिकारी के सेवा में रहने के दौरान वैधरूपेण संस्थित हो चुकी विभागीय जांच को उस अधिकारी की पश्चातवर्ती सेवानिवृति के उपरांत जारी रखने के लिये राज्यपाल की मन्जूरी की जरूरत पडेगी क्योंकि परन्तुक (ए) के खंड (i) में थोपी गई परिसीमा कार्यवाही जारी रखने बाबत न होकर केवल कार्यवाही के संस्थित होने विषयक है।

11. उपरोक्त कारणों से अपील सव्यय स्वीकार की जाती है। उत्तरप्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण लखनउ का दिनांक 10.04.2002 का निर्णय और आदेश तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनउ पीठ) का दिनांक 16.03.2004 का निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता हैं। प्रत्यर्थी द्वारा दायर क्लेम याचिका का गुणावगुण पर विधिसम्मत पुनः निर्णय करने के लिये मामला प्राधिकरण को लौटाया जाता है। प्राधिकरण मामले को जितना शीघ्र सम्भव हो उतना शीघ्रता से निपटाने का हर भरसक प्रयत्न करेगा और इस निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश होने के चार महिनों की अविध के

भीतर यथासम्भव निपटायेगा। पक्षकार अधिशीघ्र प्रमाणित नकल पेश करेंगे।

अपील स्वीकार की।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेन्द्रसिंह सिसोदिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।